



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2260]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 2011/अग्रहायण 7, 1933

No. 2260]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 28, 2011/AGRAHAYANA 7, 1933

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2011

का.आ. 2712(अ).—केन्द्रीय सरकार खादी और ग्रामोद्योग नियम, 2006 के नियम 3 और नियम 4 के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1145 (अ) तारीख, 19 जुलाई, 2006 के अधीन अधिसूचित विद्यमान खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पाँच वर्ष की अवधि के पूरा होने के परिणामस्वरूप, आयोग को पुनःगठित करती है और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है, अर्थात् :—

I आंचलिक सदस्य

{खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 की उप-धारा (2) का खंड (क)}

- | | | | |
|----|--------------|---|------------|
| 1. | पश्चिमी अंचल | श्री देवेन्द्रकुमार आर देसाई,
अर्पण, अक्षर मार्ग,
आमीन वन्दा के पास, राजकोट,
गुजरात- 360 001 | पूर्णकालिक |
| 2. | पूर्वी अंचल | श्री जयनन्दू,
301, शान्ति निकेतन अपार्टमेन्ट,
जे सी रोड, लालपुर,
राँची,
झारखण्ड- 834 001 | अंशकालिक |

3.	उत्तरी अंचल	श्री देशराज गौतम ग्रा.एवं पो., चालोला तहसील एवं जिला : ऊना, हिमाचल प्रदेश - 174 303	अंशकालिक
4.	दक्षिणी अंचल	श्री के.सी. कलप्पा ग्राम: अमरावई, मंडल: मनोपद, जिला- महबूब नगर, आन्ध्र प्रदेश- 509 128	अंशकालिक
5.	मध्य अंचल	श्री इन्द्रेश विक्रम सिंह सेमरी कोठी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश	अंशकालिक
6.	पूर्वोत्तर अंचल	श्री शरीफ उज्जमान लसकर कडरिया रोड, मधुरबन्द, पो: सिलचर, जिला: कछार, असम- 788 001	अंशकालिक

II विशेषज्ञ सदस्य

{धारा 4 की उप-धारा (2) का खंड (ख)}

		विषय	
7.	डॉ० दीपक त्यागी, ए-28, सैक्टर- 16, नोएडा, उत्तर प्रदेश	विपणन	अंशकालिक
8.	प्रोफेसर एल.आर. वर्मा, निदेशक, सी बी इंटरनेशनल, इंस्टीट्यूट ऑफ बीकीपिंग एंड एग्रो एंटरप्राइजेस, जी.टी. रोड, दोराहा, जिला- लुधियाना, पंजाब- 141 421	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	अंशकालिक

- | | | | |
|-----|---|-------------------|----------|
| 9. | डॉ० विभा गुप्ता
मगन संग्रहालय,
कुमारप्पा रोड,
वर्धा,
महाराष्ट्र- 442 001 | ग्रामीण विकास | अंशकालिक |
| 10. | श्री भूपाल सिंह
फ्लैट ओ-604, डिजाइन आर्क,
प्लॉट जीएच-6, सैक्टर -5,
वैशाली, गाजियाबाद,
उत्तर प्रदेश- 201 020 | मानव संसाधन विकास | अंशकालिक |

III पदेन सदस्य

{खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 की उप-धारा (2) का खंड (ख क), खंड (ग) और खंड (घ)}

11. अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक
 12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग
 13. वित्तीय सलाहकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग
2. केन्द्रीय सरकार, खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री देवेन्द्र कुमार आर देसाई, सदस्य, खादी और ग्रामोद्योग आयोग को उक्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।
3. खादी और ग्रामोद्योग आयोग, अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 13 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार, आयोग के सदस्य (पदेन सदस्यों को छोड़कर) केन्द्रीय सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे, जो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होकर निरंतर पाँच वर्षों की अवधि से अधिक नहीं होगी।

[फा. सं. 6(1)/2011-केवीआई-II]

दिनेश सिंह, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th November, 2011

S.O. 2712(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 4 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), read with rules 3 and 4 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006, and consequent upon the expiry of the five years term of the existing Khadi and Village Industries Commission notified under notification No. S.O. 1145(E), dated the 19th July, 2006, the Central Government hereby re-establishes the Commission and appoints the following persons as members of the Khadi and Village Industries Commission, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

I. ZONAL MEMBERS:

[Clause (a) of sub-section (2) of section 4 of Khadi and Village Industries Commission Act, 1956]

- | | | | |
|-----|---------------|---|-----------|
| (1) | Western Zone | Shri Devendrakumar R Desai,
“Arpan” Akshar Marg,
Near Amin’s Vanda,
Rajkot,
Gujarat – 360 001. | Full Time |
| (2) | Eastern Zone | Shri Jainandu,
301, Shanti Niketan Apartment,
J.C. Road, Lalpur,
Ranchi,
Jharkhand – 834 001. | Part Time |
| (3) | Northern Zone | Shri Desh Raj Gautam,
Village & Post Office Chalola,
Tehsil & District: Una,
Himachal Pradesh – 174 303. | Part Time |
| (4) | Southern Zone | Shri K.C. Kalappa,
Village: Amaravai,
Mandal: Manopad,
Dist.: Mahabubnagar,
Andhra Pradesh – 509 128. | Part Time |

